फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्रीमती सीतादेवी पत्नि श्री भंवरसिंह निवासी ग्राम कुम्हार नाड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द — प्रत्यर्थी

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 21 / 2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 13.04.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :— एफ.1( )सू0अ0,05 / 21 / 2026 / 207 दिनांक 09.04.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी / अपीलान्ट का आवेदन पत्र जरिये डाक से दिनांक 10.02.2026 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत प्राप्त हुआ। आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग से होने से कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय जरिये पत्रांक 88 दिनांक 13.02.2026 से संबंधित कार्यालय सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग के पत्रांक 320 दिनांक 06.03.2025 से अवगत कराया कि प्रार्थीया द्वारा ईप्सित सूचना में भूमि अवाप्ति की अधिसूचना क्रमांक, दिनांक की विशिष्टियां अंकित नहीं की गई है, आरटीआई की धारा 2 च के अंतर्गत दस्तावेजों की विशिष्टियां अंकित कराते हुए आवेदन करने का श्रम करे जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 140 दिनांक 10.03.2026 से प्रार्थीया को जरिये डाक प्रेषित कर सूचित किया गया। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन के संबंध में प्रार्थीया को इस कार्यालय के पत्रांक 140 दिनांक 10.03.2026 से सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित भूमि अवाप्ति की अधिसूचना क्रमांक, दिनांक की विशिष्टियां अंकित नहीं की गई है, आरटीआई की धारा 2 च के अंतर्गत दस्तावेजों की विशिष्टियां अंकित कराते हुए आवेदन करने का श्रम करे, उक्त	

(राज.)

बाबत प्रार्थी को जरिये पत्रांक 140 दिनांक 10.03.2026 से सूचित किया गया।

इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को निर्देशित करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ निर्णित किया जाता है कि प्रार्थी को कार्यालय समय में वांछित सूचना हेतु रिकार्ड का अवलोकन करा वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद